न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 195/2015
प्रविष्टि दिनांक 18.12.2015

रामानन्द पुत्र श्योकरण जाति गुर्जर निवासी हिंगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

1–तेजाराम पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासी कोटडा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर राज.
2–गोपाल पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासी कोटडा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर राज0
3–तहसीलदार निवाई

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार निवाई दिनांक 17.11.2015 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी तेजाराम आदि बनाम रामानन्द

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन,अभिभाषक अपीलांट
(2) श्री तेजमल जैन,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2

निर्णय **दिनांक 26.12.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 17.11.2015 को अपीलाण्ट को आराजी खसरा नंबर 684/844 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम हिगोनिया बुजुर्ग पर अपीलाण्ट का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना–पत्र

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

अन्तर्गत धारा 183–बी राज0टि0एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ख.न. 684/1 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा ग्राम हिंगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई मे से ख0न0 686/844 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा उन्होंने जरिये रजि0 विक्रय–पत्र बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों से खरीदने के उपरान्त उक्त भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज हुई है। प्रतिपक्षी ग्राम हिंगोनियां बुजुर्ग के रहने वाले ने नाजायज फायदा उठाकर 15 दिन पहले उक्त भूमि मे एक कच्चा घर बना लिया तथा छप्पर बाध लिया और धीरे–धीरे नाजायज तरीके से कब्जा कर रहे है। इस बात का नाजायज फायदा उठाकर झगड़ा, फसाद करते है तथा जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया है तथा मारपीट की है, जिसके सम्बन्ध में उनके विरूद्ध पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने, अपीलान्ट को बेदखल करने व पेनल्टी कायम कर दिलवाये जाने की प्रार्थना की। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–विधान एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183–बी राज.टि.एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया है, उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मियाद का प्रश्न था जिसको सर्व प्रथम देखा जाकर निर्धारण किया जाना आवयश्क था। प्रार्थना–पत्र 12 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया या नहीं तथा उसका गत 12 वर्ष मे कभी कब्जा रहा या नहीं तथा उसे किस प्रकार, किस तिथि को बेदखल किया गया एंवम अपीलान्ट द्वारा कब कब्जा किया इसका निर्णय मे उल्लेख नही किया गया है तथा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान न देकर सीधे ही बेदखली का निर्णय पारित कर दिया गया है। विवादित भूमि पर वर्ष 1981 से ही लेकर आज तक अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है,इसमें अपीलान्ट का मकान बना हुआ है और शान्ति पूर्वक उसमे मय परिवार जीवन यापन करता चला जा रहा है। सन् 1981 में ग्राम हिंगोनिया मे जबरदस्त बाढ़ आने के कारण अप्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासियों के मकानात व सम्पत्तियां बाढ़ मे बहकर नष्ट हो गई थी,इस कारण राज्य सरकार व अन्य अधिकारियो ने मोके पर आकर इन लोगों को विवादित भूमि मे बसा दिया था,एंवम मकान बनाकर निवास करने के लिये कह दिया था तब से आज तक अपीलान्ट का मकान व बाड़ा बना हुआ है और तब से ही अपीलान्ट काबिज है,उक्त भूमि को गलत रूप से बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के लिये आरक्षित दर्ज की गई थी,जबकि मौके पर अपीलान्ट का बाड़ा व मकान बना हुआ है, इस भूमि को विस्थापितों को कागजी तोर पर केवल रिकार्ड के आधार पर आवंटन किया गया है, जो मोके पर स्थित मकानात व बाड़े तथा कब्जे की स्थिति के विपरीत जाकर किया गया है, मोके की कोई जांच नहीं की गई थी, विस्थापितो को कोई सुपुर्दगीनामा जारी नही किया गया तथा कोई भोतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया, अपीलान्ट को कभी भौतिक रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाकर बेदखल नहीं किया गया। अपीलान्ट शान्ति पूर्वक गत 35 वर्ष से भी अधिक समय से आज तक काबिज है और उपयोग उपभोग कर रहा है,जिसको अपने मकान व बाड़े में रहकर निवास [illegible] जीवन यापन करने का संविधानिक अधिकार प्राप्त है,जिसको किसी भी प्रकार से धारा 183 बी या [illegible] प्रावधान के तहत बेदखल नही किया जा सकता, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने नाजा[illegible] रूप से भूमि पर कब्जा करने की नियत से झूठा प्रार्थना–पत्र तहसीलदार के यहां प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

है।रेस्पोडेन्ट न.1 व 2 ने तथाकथित विस्थापितों से नुमाईशी तोर पर बिना भौतिक कब्जे के, अन्तरण के, चुपचाप विक्रय पत्र करवाया है और उनकी आड़ मे चुपचाप नामान्तरकरण तस्दीक करवाकर जमाबन्दी मे नुमाईशी खातेदारी अंकित करवाकर धारा 183–बी का अविलम्ब लेकर कब्जा करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है, मोके की वास्तकि स्थिति पर ध्यान नही दिया है, रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उनका कब्जा साबित नहीं है। रेस्पोडेन्ट्स का कभी कब्जा नही रहा है। पटवारी हल्का ने मौके की गलत जांच कर रिपोर्ट दी है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित भूमि पर 10 बिस्वा पर अपीलान्ट की कच्ची झोपड़ी व बाड़ा बना होना लिखा है। मौका रिपोर्ट मे यदपि अपीलान्ट का कब्जा जिसमें झोपडी व बाड़ा विद्यमान होना अंकित किया है, परन्तु पटवारी ने अपनी शक्तियो का दुरुपयोग करते हुऐ लिखा है कि जबरदस्ती कब्जा कर रखा है तथा हटाना नहीं चाहता है। यह रिपोर्ट अपने आपमें विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने जवाबी बहस मे प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2067–2070 वाके ग्राम हिंगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई मे आराजी खसरा 684/844 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि मे से 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम की है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो मे अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय कि आदेशिका दिनांक 10.02.2015 से जाहिर होता है कि अपीलांट की और से अभिभाषक ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा है और दिनांक 27.02.2015 को अपीलांट की और से जवाब प्रस्तुत किया है,जो आदेशिका दिनांक 27.02.2015 से स्पष्ट है ओर साथ ही स्वंय अपीलांट के भी आदेशिका दिनांक 09.03.2015 पर हस्ताक्षर है,जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समूचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

अपीलांट द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 684/844 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा मे से 10 बिस्वा वाके ग्राम हिंगोनिया बुजुर्ग पर झोपडी व बाडा बनाकर कब्जा किया जाना पटवारी हल्का कि रिपोर्ट से जाहिर है तथा [illegible] सिद्व है कि अपीलांट रेस्पोडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से अपीलाण्ट का रेस्पोडेण्टस की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 17.11.2015 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested